



## शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय, रायगढ़ (छ.ग.)

(छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 द्वारा स्थापित राजकीय विश्वविद्यालय)  
गढ़उमरिया, ओडिशा रोड़, रायगढ़ (छत्तीसगढ़) 496001

ई-मेल- [registrarsnpv@gmail.com](mailto:registrarsnpv@gmail.com), वेबासईट- [www.snpv.ac.in](http://www.snpv.ac.in)

क्रमांक. 2-3-2-4-8/गृह विज्ञान /2021/473

रायगढ़, दिनांक 26.07.2021

### // अधिसूचना //

—00—


छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 28 की उप-धारा (2) की कंडिका (एक) से (पाँच) तक के प्रावधान के अनुसार विश्वविद्यालय के गृह विज्ञान संकाय के अंतर्गत गृह विज्ञान अध्ययन मंडल का निम्नानुसार गठन अधिसूचित किया जाता है -

धारा 28 (2) (एक)	1.	रिक्त
धारा 28 (2) (दो)	1.	रिक्त
	2.	रिक्त
धारा 28 (2) (तीन)	1.	रिक्त
धारा 28 (2) (चार)	1.	श्रीमती नयनमणी गार्डिया, सहा.प्राध्यापक, शास. के.एम.टी.कन्या महा. जिला-रायगढ़
	2.	रिक्त
धारा 28 (2) (पाँच)	1.	रिक्त
	2.	रिक्त

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 28 की उप-धारा (3) के प्रावधान के अनुसार माननीय कुलपति महोदय द्वारा श्रीमती नयनमणी गार्डिया, को अध्यक्ष, अध्ययन मंडल मनोनीत किया है।

अध्ययन मंडल का कार्यकाल अधिसूचना के निर्गमन तिथि से आगामी 3 वर्ष के लिए होगा।

आदेशानुसार

  
(कृष्ण कुमार चंद्राकर)  
कुलसचिव

पृ.क्रं. 2-3-2-4-8/गृह विज्ञान/2021/474

रायगढ़, दिनांक 26.07.2021

प्रतिलिपि:-

01. माननीय कुलाधिपति महोदय के सचिव, राजभवन, रायपुर को सादर सूचनार्थ।
02. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा, विभाग, महानदी भवन, नवा रायपुर।
03. आयुक्त उच्च शिक्षा, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
04. कुलपति के निज सचिव को माननीय कुलपति महोदय के सादर सूचनार्थ।
05. संबंधित संकायाध्यक्ष को सूचनार्थ।
06. प्राचार्य समस्त संबद्ध महाविद्यालय जिला-रायगढ़ एवं जाँजगीर चॉपा को सूचनार्थ।
07. संबंधित सदस्य ..... को सूचनार्थ।

 कुलसचिव (अकादमी)

  
26.07.21